

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023

शिमला-2,

02.06.2023

अधिसूचना संख्या: 10/2023-राज्य कर

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2020-राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020 दिनांक 24 जून, 2020, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अगस्त, 2023 से प्रभावी, शब्द "दस करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

आदेश द्वारा

(भरत खेड़ा)

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023 dated 02.06.2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

No. EXN-F(10)-5/2023

Dated: Shimla-2, the

2nd June, 2023.

Notification No. 10/2023-State Tax

In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendation of the GST Council, is pleased to make the following further amendment in the notification No. 13/2020-State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2017-Loose dated the 24th June, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of August, 2023, for the words “ten crore rupees”, the words “five crore rupees” shall be substituted.

By Order

(Bharat Khera)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023

शिमला-2,

02.06.2023.

अधिसूचना संख्या: 5/2023-राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कम संख्या 9 के समक्ष, मद (iii), उप मद (ख) में, कॉलम (5) की प्रविष्टि के अंतर्गत, शर्त (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते और भी कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए यह विकल्प 31 मई, 2023 को या उसके पहले तक अपनाया जा सकेगा:

बशर्ते और भी कि यदि कोई जीटीए, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नया व्यापार शुरू करता है या उस वर्ष में निर्धारित पंजीकरण की थ्रेशोल्ड सीमा को पार करता है तो वह उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जीएसटी पंजीकरण के आवेदन किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन पूरे हो जाने के पहले या ऐसे पंजीकरण के हो जाने की तारीख से एक माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पहले, दोनों में जो भी बाद में हो, अनुबंध V में इस प्रकार की घोषणा करके कर सकता है।”।

आदेश द्वारा

(भरत खेड़ा)

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023 dated 02.06.2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

**Government of Himachal Pradesh
Excise and Taxation Department**

No. EXN-F(10)-5/2023

Dated: Shimla-2, the

2nd June, 2023.

Notification No. 5/2023-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the e-Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 9, in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided also that the option for the Financial Year 2023-2024 shall be exercised on or before the 31st May, 2023:

Provided also that a GTA who commences new business or crosses threshold for registration during any Financial Year, may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during that Financial Year by making a declaration in Annexure V before the expiry of forty-five days from the date of applying for GST registration or one month from the date of obtaining registration whichever is later.”.

By Order

(Bharat Khara)

Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh